

दिशानिर्देश

1. आवेदक अजमेर संभाग जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक जिले शामिल हैं, का मूलनिवासी होना चाहिए।
2. आवेदकवैष्णवसमाजबावनगौत्र काहीहोनाचाहिए।
3. चतुर्थ श्रेणी सेउपर के राज्य/निगम/बोर्ड/केन्द्र के कर्मचारियों के आश्रितआवेदनहेतुपात्र नहीं होंगे।परिवारकीवार्षिकआय 2 लाख से कम होनीचाहिए।
4. बी.पी.एल., विकलांग, ग्रामीण क्षेत्र (तहसील स्तरसे नीचे)एवंमहिलाआवेदकोकोप्रत्येक श्रेणी के लिये5 प्रतिशतबोनसअंक देय होंगे।बोनसअंको की अधिकतमसीमाकानिर्धारणसमितीअपनेविवेकसेकरेगी।
5. विधवायेंजिनकीसंताने 10 वींसेउपर की कक्षामें अध्ययनरतहैं एवंजिनकीआर्थिकस्थिति खराबहैवेअपनीसंतानों के नामसेअलग-अलगआवेदनपत्र भरें। जिनविधवाओं की संताने 10 वीं या इससेनीचे की कक्षाओंमें अध्ययनरतहैंवेस्वयंआवेदनपत्र भरें। निसंतानविधवायेंआवेदनपत्र भरने के लियेपात्र नहींहोंगी। लेकिन ऐसीनिसंतानविधवायेंजो 10 वीं / 12वीं एवंइससेउच्चस्तर की पढाईकरनेमें सक्षमहैंवेआवेदनकरसकतीहैं।विधवा श्रेणी के आवेदकों के लियेन्यूनतमअंकोकीकोईबाध्यतानहींरहेगी।
6. 10 वीं/12वीं एवंस्नातक/स्नातकोत्तरस्तर केआवेदको,कोशैक्षणिकसहायतामेरिट के आधारपरदीजावेगी।10 वीं/12वीं,स्नातक एवंस्नातकोत्तरआवेदको के लिए कमशः 70%; 65%;60%एवं 60%अंकहोनेअनिवार्यहोंगे।
7. आवेदक 10 वीं व उससेउपर की कक्षाओंकाविवरण शैक्षणिकयोग्यतावालेकॉलममेंदेंगे व 10 वीं व उससेउपरकीसभी कक्षाओंकी अंकतालिका की फोटोप्रतिलगायेंगे। इसकेअलावाराशनकार्ड, मूलनिवास प्रमाणपत्र, नवीनतमबिजलीकाबिल, किसीराजपत्रित अधिकारी द्वारा या तहसीलकार्यालय द्वाराजारीआय प्रमाणपत्र एवंबोनसअंकप्राप्तकरने के लियेआवश्यक दस्तावेजों की सिर्फफोटोप्रतिसंलग्नकरें। विधवा श्रेणी के आवेदकसिर्फाराशनकार्ड एवंपति के मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटोप्रतिसंलग्नकरें।
8. वर्ष 2013-14 मेंअध्ययनरत कक्षा की फीस की रसीदया अध्ययनरतहोने के साक्ष्य मेंकोईभीदस्तावेजकीफोटोप्रतिसंलग्नकरें।
9. आवेदनपत्र के साथकिसीभीदस्तावेजकीमूलप्रतिनहींलगावें।
10. जिनछात्राओं की स्कूल / कॉलेज व कोचिंग / प्रशिक्षणसंस्थानअपनेनिवासस्थानसेकाफीदूरहैं व आने-जाने की परेशानी की वजहसे उनके अध्ययन मेंबाधापहुँचरहीहै ऐसीछात्रायेंअपनीसमस्या व शैक्षणिकस्थितिकाविस्तारसेउल्लेख करतेहुयेअलगसेसादेकागजपरआवेदनकरें। ऐसीछात्राओं के लियेन्यूनतमअंक व आय सीमा की कोईबाध्यतानहींहै।समितीइनकीइससमस्या के समाधानपरविचारकरेगी।
11. आवेदन"संयोजकश्रीकिशनलालवैष्णवC/Oश्रीशिवप्रसादवैष्णव, सी-447, पंचशीलनगर, माकड़वालीरोड़, अजमेर (राजस्थान)"कोडाक/कोरियर द्वाराभिजवायेजासकतेहैं।आवेदनमेंकोईसूचनागलतपाईजानेपरआवेदननिरस्तकरदियाजाऐगा।आवेदनदिनांक**01.09.2013 से31.12.2013**तकडाक/कोरियर द्वाराउपरोक्तपतेपरपहुँचजानेचाहिए।दिनांक**01.09.2013** सेपहले व दिनांक**31.12.2013**के बादप्राप्तहोनेवालेआवेदनपत्रोंपरविचार नहीं कियाजाऐगा।
12. पुरुष्कारवितरणवर्गवार,कक्षावार,कानिर्धारणसमितीअपनेविवेकसेकरेगी।आवेदकचाहीगईसहायता के लियेदोविकल्पआवेदनपत्र की कालम संख्या -14मेंभरें व स्पष्टकरेंकिचाहीगईसहायता उनके उच्च अध्ययन मेंकिसप्रकारसहायकहोगी।इसमेंसमितीकानिर्णय अंतिमहोगा।
13. निर्धनप्रतिभावान अध्ययनरतछात्र-छात्राओं की पढाईलिखाई के संबंध मेंउनकीसहायताकिसप्रकार की जासकतीहै,इसकेलिए सुझावआमंत्रितहैं।अतःअपनेसुझावअवश्य देने की कृपाकरें।सबसेश्रेष्ठसुझावदेनेवालेको 1100/-रूपयेनगदपुरुष्कारस्वरूपप्रदानकिए जाऐंगे।सुझावअलगपेजपरभीदियेजासकतेहैं।
14. उक्तकार्यक्रमकोसफलबनाने केलिए सभीसमाजबंधुओंसेमार्गदर्शन/समर्थन/सुझाव एवंआर्थिकसहयोगआमंत्रित/ अपेक्षितहैं।
15. विधवा श्रेणी के आवेदकोंकोछोड़करअन्य सभीआवेदकआर्थिकस्थितिकीतथ्यात्मकरिपोर्टसंलग्नकरें।
16. आर्थिकस्थितिकीतथ्यात्मकरिपोर्टसमाज के किन्हीदोप्रतिष्ठितव्यक्तियोंसेप्रमाणित एवंहस्ताक्षरितहोनीचाहियेजिनमेंसे एक व्यक्तिसमाज की किसीसमिती या संस्थाकापदाधिकारीहो व दूसराव्यक्तिसरकारीकर्मचारीहो।
17. किसीप्रकार के स्पष्टीकरण के लियेसंयोजकसेसम्पर्ककरें।